

**राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग**

क्रमांक: प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2021

जयपुर, दिनांक 03/03/22

**मुख्य अभियन्ता (भवन),  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।**

**विषय :** द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या आ/34, गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर, जयपुर रिथत द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास आ/34, गांधीनगर, जयपुर में निर्मांकित कार्यों हेतु राशि रूपये 2.29 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख उन्तीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	आवासी का नाम व आवास संख्या	आवास के लिए स्वैंकर्म	प्रस्तावित कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	सैयद यावर दुसेन पा/34 गांधीनगर, जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24	Bathroom renovation	0.60	2.29
			kitchen renovation	0.50	
			tile flooring	0.51	
			Fiber shed	0.37	
			Total A	1.98	
			Cont.2.5%	0.05	
			Total B	2.03	
			Prorata 13%	0.26	
			<b>Grand Total</b>	<b>2.29</b>	

यह व्यय बजट मद 4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 01—सरकारी रिहायशी भवन, 700—अन्य आवास, (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास, [90]—निर्माण कार्य—स्कीम, 16—लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाए। सुनिश्चित करावें तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हर साहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, लेखा व हक/लेखा परीक्षा—1, राजस्थान जयपुर
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड—ा, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड—ा, जयपुर।
9. संवंधित आवासी।
10. रक्षित पंत्रावली।

*Har S. Meena*  
3/3/22  
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग**

कमाक: प. 21 (2) सा.प्र./गुप-4/2021

जयपुर, दिनांक:— 03/03/22

मुख्य अभियन्ता (भवन),  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय: द्वितीय श्रेणी राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर, जयपुर स्थित द्वितीय श्रेणी राजकीय आवासों में निम्नांकित कार्यों हेतु राशि रूपये **5.19** लाख (अक्षरे रूपये पाँच लाख उन्नीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:— (लाखों में)

क्र. सं.	आवासी का नाम व आवास सं.	आवास के लिए ब्लॉक वर्ष	प्रस्तावित कार्य का विवरण		कुल राशि
			कार्य	राशि	
1	श्री ऐजाज नबी खान 2/43 गांधीनगर	2020-21 2021-22 2022-23	interlocking tile with pcc earth work, drainage work	0.50	1.45
			Bathroom renovation	0.23	
			kitchen renovation	0.35	
			tile flooring	0.17	
			Total A	1.25	
			Cont. 2.5%	0.03	
			Total B	1.28	
			Prorata 13%	0.17	
2	श्री जंगा श्रीनिवास राव, 2/25 गांधीनगर	2021-22 2022-23 2023-24	upvc glass door	0.25	2.03
			toilet renovation work	1.10	
			electric work	0.17	
			santiary fixtures work	0.24	
			Total A	1.76	
			Cont. 2.5%	0.04	
			Total B	1.80	
			Prorata 13%	0.23	
3	श्री सुप्लाराम मीणा, 2/32 गांधीनगर।	2021-22 2022-23 2023-24	raising of boundary wall	0.08	1.71
			white wash, paint and distemper putty	0.80	
			kitchen renovation	0.35	
			new section window	0.08	
			flush door	0.16	
			Total A	1.47	
			Cont. 2.5%	0.04	
			Total B	1.51	
			Prorata 13%	0.20	
			<b>Grand Total</b>	<b>5.19</b>	

यह व्यय बजट मद 4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01—सरकारी रिहायशी भवन, 700—अन्य आवास (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य—स्कीम 16—लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22, में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में खींकूत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापूर्ति सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र कमाक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा व हक / लेखा परीक्षा-1, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
9. संबंधित आवासी।
10. रक्षित पत्रावली

*3/3/22*  
संयुक्त शासन सचिव